

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239431
SG-DL-E-07102022-239431

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 278
No. 443]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944	[N. C. T. D. No. 278

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

(संख्या 06/2019-राज्य कर)

फा. सं. 03(18)/वित्त(व्यय-1)/2022-23/डीएस- I/795.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 65/2017 राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं. फा.03(73)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, "संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट "विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी।

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 65/2017-राज्य कर, तारीख 22 दिसंबर 2017, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में सं.फा.03(73)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/827, तारीख 22 दिसंबर 2017, द्वारा प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव -I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 4th October, 2022

(NO. 06/2019-STATE TAX)

F.No. 3 (18)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/795.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of this Government issued vide No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017, namely: -

In the said notification, in the proviso, for the words, brackets, letters and figures “sub-clause (g) of clause (4) of article 279A of the Constitution, other than the State of Jammu and Kashmir”, words, brackets and figures “the first proviso to sub-section (1) of section 22 of the said Act, read with clause (iii) of the Explanation to the said section” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of February, 2019.

Note:- The Principal Notification No. 65/2017-State Tax, dated the 22nd December 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(73)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/827, dated the 22nd December 2017

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)